

प्रश्न सं. [क. 2120]

मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय  
आदेश

भोपाल, दिनांक

क्रमांक R- 1687/2013/12-1 जिला टीकमगढ़ तहसील जतारा ग्राम बैरवार ख.क्र.1045 रकबा 14.00 हेक्टेयर पर खनिज डायस्पोर एवं पाइरोफलाइट का खनिपट्टा शासनदेश दिनांक 01.10.2003 से 20 वर्ष की अवधि हेतु श्री नरेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में स्वीकृत है। पट्टाधरक श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने आवेदन पत्र दिनांक 222.2013 प्रस्तुत कर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उक्त खनिपट्टा मेंसर्स मधुबन मिनरल्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पक्ष में अंतरित किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

प्रकरण दिनांक 5.6.2013 एवं 25.2.2014 को सुनवाई में लिया गया उपस्थित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया एवं सभी प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन किया गया

सम्पूर्ण विचारोपरांत जिला टीकमगढ़ तह. जतारा ख.नं. 1045 रकबा 14.00 हे. पर खनिज डायस्पोर/पाइरोफलाइट हेतु श्री नरेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में स्वीकृत खनिपट्टा में मधुबन मिनरल्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पक्ष में अंतरित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(मगदली खलखों)  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग  
भोपाल दिनांक 6-6-14

प.क्रमांक 3065/1687/2013/12-1  
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल।
3. श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी फोर्ट ग्रउन्ड कचन मयन टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मेंसर्स मधुबन मिनरल्स एव इंडस्ट्रीज सागर जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय  
भोपाल

प्रतिलिपि  
3/12/14

मध्यप्रदेश  
3/12/14